



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29302 वर्ष 2026

मनोज मुसहर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: आशीष कुमार मिश्रा, राजा राम पाल
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजा राम पाल तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आशुतोष सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 370 वर्ष 2025, धारा 103(1), 317(3), 305, 331, 3(5), 61(2), 310(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सैयदराजा, जिला चंदौली में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14.12.2025 की रात्रि में एक मामूली बात को लेकर जब सूचनादाता और उसके पुत्र ने आपत्ति की, तब अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे उसके पुत्र को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं था, किंतु विवेचना के दौरान विनोद मुसहर को आरोपी बनाया गया और तत्पश्चात दिनांक 18.12.2025 को उसका बयान दर्ज किए जाने पर उसने आवेदक का नाम बताया।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और सह-आरोपी के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समस्त तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात सह-आरोपी नागेश्वर प्रसाद @ रिकू को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है और उसका जमानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ 72 पर संलग्न है तथा जहां तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, आवेदक का मामला उसके समान है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास को वर्तमान जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है तथा अधिकांश मामले चोरी के थे और ये मामले वर्ष 2006-2007 के भी थे।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 25.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।

9. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी और इससे परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान सह-आरोपी के बयान के माध्यम से आवेदक को आरोपी बनाया गया तथा विवेचक द्वारा दर्ज सह-आरोपी के बयान और आवेदक के इकबालिया बयान के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

12. आगे, सह-आरोपी नागेश्वर प्रसाद @ रिकू को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और आवेदक का मामला उसके समान है।

13. आगे, वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध छह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, किंतु उसके आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया गया है और अधिकांश मामले चोरी के थे तथा ये मामले वर्ष 2006-2007 के भी थे।

14. आगे, वर्तमान मामले में आवेदक पिछले आठ माह से जेल में निरुद्ध है।

15. अतः ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. आवेदक-मनोज मुसहर को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”